


26-08-25 फावली पैश डुई । वकील वादी अनुपस्थित ।

वकील वादी को बार-बार अवसर देने पर भी प्रतिवादीगण का रजिस्ट्रार सम्मन तलवाना पैश नहीं किया गया है ना ही प्रतिवादीगण को तलबी कराई गई है । वकील वादी द्वारा आदेश-9 नियम-5 CPC के अवधानों की पालना नहीं की गई है । अतः वादी का यह वादपत्र तलबी के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है । फावली बाद तर्तीब तकमील होकर दाखिल दफतर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर बुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(सुनीलकुमार चौधरी)  
RAS